शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार का MPSC अधिनियम

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार 18 दिसंबर को राज्य विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में "महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024" पेश किया है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह बिल मुख्य रूप से शहरी नक्सलवाद की बढ़ती उपस्थिति से निपटने के उद्देश्य से पेश किया गया है।
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस विधेयक को "संयुक्त चयन समिति" को भेजा जाएगा, जिसमें सभी विचारों और राय को ध्यान में रखकर इसे फिर से मानसून सत्र में लाया जाएगा।
- इस विधेयक को पहली बार पिछले मानसून सत्र में पेश किया गया था लेकिन यह पारित नहीं हो सका था।
- महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक के प्रावधानों के कठोर होने के कारण कई संगठनों ने चिंता व्यक्ति की है, जिसके कारण इसे "संयुक्त चयन समिति" के पास भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

➢ विधेयक लाने के पीछे सरकार का तर्क :

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (MPSC) विधेयक–2024 पेश करते हुए कहा कि नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूर दराज इलाकों तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी उपस्थिति शहरी क्षेत्रों में भी नक्सली संगठनों के माध्यम से बढ़ रही है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मौजूदा नक्सली खतरों से निपटने वाला कानून अप्रभावी और अपर्याप्त है जो नक्सलवाद, इसके सहयोगी संगठन और व्यक्तिगत समर्थकों से निपटने के लिए प्रभावी नहीं है।

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा MPSC विधेयक शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिसा सरकार द्वारा लागू सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के आधार पर तैयार किया गया है, जिनके आधार पर इन राज्यों ने 48 नक्सली संगठन पर प्रतिबंध लगाया है।

➢ प्रस्तावित कानून के मुख्य प्रावधान :

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए "विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024" का मुख्य उद्देश्य किसी भी संदिग्ध संगठन को "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को देना है।
- इस विधेयक के तहत ऐसे चार अपराध का उल्लेख किया गया है जो किसी व्यक्ति को अपराध के दायरे में लाकर उसे दंडित किया जा सकता है।
- ये चार अपराध निम्न है :

i. किसी व्यक्ति का गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना।
ii. किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संगठन के लिए धन संग्रहित करना।
iii. किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संगठन के प्रबंधन या प्रबंधन में सहायता प्रदान करना।
iv. किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होना।

- उपरोक्त सभी कृत्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को इस विधेयक के तहत 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जेल की सजा के प्रावधान के साथ 2 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- उपरोक्त अपराध के लिए पेश किए गए कानून के तहत गिरफ्तारी गैर–जमानती होगी, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है।

➢ विधेयक में गैर–कानूनी गतिविधि क्या है ?

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक में गैर कानूनी गतिविधियों को निम्न तरीके से निर्धारित किया गया है :

1. ऐसे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति के लिए खतरा बनते हैं।
2. सार्वजनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप एवं हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाले कृत्य।
3. सरकार द्वारा स्थापित कानून या स्थापित संस्थानों में हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति वाले कृत्य।
4. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बलों को आपराधिक बलों से प्रदर्शन या भयभीत करने के उद्देश्य वाला कृत्य।
5. हिंसा, तोड़फोड़ या जनता में भय पैदा करने वाले कृत्य।
6. सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेल, सड़क, पानी या संचार सुविधाओं को बाधित करने वाला कृत्य।

7. सरकार द्वारा स्थापित कानूनों एवं उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के आदेशों की अवहेलना या उनके आदेश को न मानने के लिए प्रोत्साहित या प्रचार करना।
8. उपरोक्त सारे गतिविधियों के लिए धन या सामान इकट्ठा करना।

- उपरोक्त सारे कृत्यों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश MPSC विधेयक के तहत गैरकानूनी गतिविधियों के अंतर्गत रखा गया है।

➢ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA)–1967 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए MPSC विधेयक की भिन्नता एवं समानता :

- गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA, Unlawful Activities Prevention Act)–1967 मूल रूप से भारतीय संसद द्वारा 1967 में लागू किया गया था।
- वर्ष 2004 एवं 2008 में UAPA को आतंकवादी रोधी कानून के रूप में माना गया एवं अगस्त 2019 में इसमें कुछ संशोधन के साथ इसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक–2019 के रूप में संसद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
- UAPA भारत का प्रमुख आतंकवादी रोधी कानून है जिसका उपयोग "नक्सलवाद" के मामले में भी किया जाता है।
- UAPA के तहत भी राज्य सरकार किसी गैरकानूनी संगठन को गैर कानूनी संगठन के रूप में नामित कर सकती है।
- UAPA एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किया गया विधेयक दोनों किसी भी संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए समान प्रक्रियाओं का पालन करता है।
- UAPA के तहत राज्यों द्वारा घोषित किए गए गैर कानूनी संगठन की पुष्टि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक न्यायाधिकरण करता है जबकि MPSC के तहत नामित गैर कानूनी संगठन की पुष्टि एक सलाहकार बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे।
- UAPA के तहत गैर कानूनी गतिविधियों की परिभाषा में भारतीय संघ से भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का अधिग्रहण या अलगाव संबंधित गतिविधि या गतिविधि में भाग लेने का इरादा शामिल है जबकि MPSC विधेयक में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए एक निश्चित परिभाषा को शामिल किया गया है।

➢ नक्सलवाद या माओवाद

❖ उदय

- नक्सलवाद या माओवाद का भारत में उदय मुख्य रूप से 1960–70 के दौरान बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का परिणाम था।

- नक्सलवाद का प्रतिक्रियावादी राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से बंदूक से सत्ता की प्राप्ति एवं राजनीतिक रक्तपात रहित युद्ध के सिद्धांत पर काम करती है।
- भारत में नक्सलवाद का उदय एक विचारधारा के रूप में सामने आया था, जो चीन के कम्युनिस्ट नेता माऊत्सेतुंग के विचारधारा से प्रभावित था।
- मूल रूप से भारत में नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कानू सान्याल एवं चारू मजूमदार द्वारा सत्ता के विरुद्ध शुरू किए गए सशस्त्र आंदोलन से हुआ था।
- भारत में नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में "नक्सलबाड़ी" सशक्त आंदोलन से शुरू हुई जिसने आगे चलकर लगभग पूरे देश में अपना पांव फैला दिया।
- 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद यह भाकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) एवं कम्युनिस्ट पार्टी में बंट गया।
- इन दोनों पार्टियों में से एक भाग चीन के माओवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर कानू सान्याल एवं चारू मजूमदार के नेतृत्व में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए "सशक्त क्रांति" का रास्ता चुन लिया।
- वर्ष 1967 में चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल ने कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाकर सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई शुरू करने की घोषणा की।

➢ भारत में नक्सलवाद का प्रसार :

- वर्ष 2019 के नक्सलवाद पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 11 राज्यों के 90 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं।
- इन 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है।

➢ लाल गलियारा (Red Corridor) :

- भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र को लाल गलियारा (Red Corridor) के रूप में दर्शाया गया।
- लाल गलियारा के रूप में भारत के पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी भागों में नक्सलवाद से प्रभावित ऐसे क्षेत्र हैं, जो वर्तमान में निरक्षरता, गरीबी और अधिक जनसंख्या जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

- लाल गलियारा के रूप में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम–1967 (UAPA) के तहत नक्सली संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है।